

**मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय**

-:आदेश:-


भोपाल दिनांक

क्रमांक एफ 10-12/2016/सत्रह-मेडि-02, राज्य शासन एदत् द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पूर्व में आदेश क्रमांक एफ 10-63/सत्रह/मेडि-2, दिनांक 07.05.2003, 22.04.2006, 30.07.2012 एवं 16.06.2016 द्वारा गठित राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड का पुनर्गठन निम्नानुसार करता है:-

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, पदेन | अध्यक्ष |
| 2. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पदेन | उपाध्यक्ष |
| 3. प्रमुख सचिव/आयुक्त/उनके प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग, पदेन | सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव/आयुक्त/उनके प्रतिनिधि, समाज कल्याण विभाग, पदेन | सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव/आयुक्त/उनके प्रतिनिधि, विधि विभाग, पदेन | सदस्य |
| 6. प्रमुख सचिव/आयुक्त/उनके प्रतिनिधि, आयुष विभाग, पदेन | सदस्य |
| 7. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. भोपाल मध्यप्रदेश, पदेन | सदस्य |
| 8. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, पदेन | सदस्य |
| 9. संचालक, परिवार कल्याण, पदेन | सदस्य |
| 10. तीन माननीय महिला विधायक, म.प्र. विधान सभा- | |
| अ. श्रीमती ललिता यादव, विधान सभा सदस्य, छत्तारपुर | सदस्य |
| ब. श्रीमती नीता विक्रम वर्मा, विधानसभा सदस्य, धार | सदस्य |
| स. श्रीमती नंदिनी मरावी, विधानसभा सदस्य, सिहोरा | सदस्य |
| 11. राज्य शासन द्वारा नामांकित 10 सदस्य जिसमें से दो निम्नलिखित प्रत्येक कैटेगरी से- | |
| अ. एमीनेंट सोशल साइंटिस्ट एंड लीगल एक्सपर्ट- | |
| 1. श्री तपन रंजन मोहंती, एसोसिएट प्रोफेसर, एन.एल.आई.यू. भोपाल, म.प्र. | सदस्य |
| 2. विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र, नूतन कॉलेज, भोपाल, म.प्र. | सदस्य |
| ब. एमीनेंट वुमेन एक्टविस्ट फ्रॉम एन.जी.ओ. या अन्य | |
| 1. श्रीमती सुधा मल्लैया, ओजस्विनी, 103 वसुंधरा सुरेन्द्र पैलेस
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सामने | सदस्य |
| 2. श्रीमती निशा सिंह, 156 ए, इन्द्रपुरी, भोपाल | सदस्य |
| स. प्रसूति रोग विशेषज्ञ- | |
| 1. विभागाध्यक्ष, प्रसूति रोग विभाग, गाँधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल | सदस्य |
| 2. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ओब्स्टेट्रिक एवं गयनेकोलोजिकल
सोसाइटीज ऑफ इंडिया (फॉगसी), भोपाल चेप्टर | सदस्य |
| द. एमीनेंट पिडियाट्रिशियन या मेडिकल जेनेटिसिस्ट- | |
| 1. सचिव, आई.ए.पी. भोपाल चेप्टर | सदस्य |
| 2. विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज | सदस्य |
| इ. एमीनेंट रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलोजिस्ट | |
| 1. विभागाध्यक्ष, रेडियोलोजी, गांधी मेडिकल कॉलेज | सदस्य |
| 2. अध्यक्ष, आई.आर.आई.ए. भोपाल, चेप्टर | सदस्य |
| 3. डॉ. आनंद कुमार लोहोटी, उर्वशी कॉम्प्लेक्स जावरा कम्पाउन्ड, इन्दौर | सदस्य |
| 12. संचालक, प्रशिक्षण एवं अर्द्ध-समय पदेन | सदस्य |

E11070143201

- नोट:- 1 बोर्ड की बैठक प्रत्येक चार माह में एक बार आयोजित की जाएगी।
बोर्ड के कार्य उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधान 16-ए के अनुसार रहेंगे।
2 पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का रहेगा।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 10-12/2016/सत्रह-मेडि-02,

भोपाल, दिनांक 6.09.2017

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल। (वेबसाइट पर अपलोड करें)
 4. मिशन संचालक एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
 5. संचालक परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश।
 6. संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
 7. डीन मेडिकल कॉलेज, भोपाल।
 8. संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/प्रशिक्षण/आई.ई.सी. ब्यूरो, भोपाल। मध्यप्रदेश।
 9. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला सक्षम प्राधिकारी, पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट, मध्यप्रदेश।
 10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DD(PNDT)

1325/12-09-17

आवक क्रमांक

एच.एच.एम. संचालक शाखा